Information Booklet

LEGAL SERVICES

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

DELHI STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

Legal Assistance Establishment 'Nyaya Sanyog'
Patiala House Court, New Delhi - 110002
Phone - 011-23071265, Mobile - 9870101337, Helpline - 1516 (24x7 Toll Free)
E-mail: lae-dslsa@gov.in Website- www.dslsa.org

CENTRAL OFFICE: PATIALA HOUSE COURTS, NEW DELHI
PH. : 011-23384781, FAX : 23387267
E- mail: dslsa-phc@nic.in, Website: www.dslsa.org

Under the aegis of :

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

12/11 JAM NAGAR HOUSE, SHAHJAHAN ROAD, NEW DELHI - 110011
Ph.: 011-23382778, 23386176; FAX : 23382121

कानूनी सेवाएँ

नालसा के बारे में

भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। संविधान का अनुच्छेद 14 और 22 (1) राज्य के लिए यह अनिवार्य करता है की वह कानून के समक्ष समानता और एक ऐसी कानूनी व्यवस्था को सुनिश्चित करे जो सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे। समान अवसर के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों के लिए स्वतंत्र और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए 9 नवंबर 1995 को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जिसे 1987 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रभाव में लाया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) तत्पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर गठित किया गया था।

हमारा दृष्टिकोण:-

कमजोर वर्गो और वंचित वर्गों को निष्पक्ष और सार्थक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक समावेशी कानूनी प्रणाली को बढ़ावा देना।

हमारा लक्ष्य:-

कानूनी तौर पर समाज के कमजोर और बहिष्कृत समूहों को सशक्त करने के लिए प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करना, कानूनी साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा कानूनी तौर पर उपलब्ध लाभ और हकदार लाभार्थियों के बीच की खाई को कम करना।

Legal Services

About NALSA

Article 39A of the Constitution of India provides for free legal aid to the poor and weaker sections of the society and ensures justice for all. Articles 14 and 22(1) of the Constitution also make it obligatory for the State to ensure equality before law and a legal system which promotes justice on the basis of equal opportunity to all. In 1987, the Legal Services Authorities Act was enacted by the Parliament which came into force on 9th November, 1995 to establish a nationwide uniform network for providing free and competent legal services to the weaker sections of the society on the basis of equal opportunity. The National Legal Services Authority (NALSA) was thereafter constituted at the National level.

OUR VISION:

To promote an inclusive legal system in order to ensure fair and meaningful justice to the marginalized and disadvantaged sections.

OUR MISSION:

To legally empower the marginalized and excluded groups of the society by providing effective legal representation, conducting legal literacy and awareness programmes to bridge the gap between the legally available benefits and the entitled beneficiaries.

लोक अदालत की प्रणाली और अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करना जिससे की समाज के गरीब और वंचित वर्गों को विवादों के अनौपचारिक त्वरित और सस्ता समाधान प्रदान किया जा सके और न्यायपालिका पर अधिनिर्णय के अधिक बोझ को कम करना।

To strengthen the system of LokAdalats and other Alternate Dispute Resolution mechanisms in order to provide for informal, quick and inexpensive resolution of disputes to the indigent and underprivileged sections of the society and minimize the burden of adjudication on the overburdened judiciary.

नालसा एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन

भारत के मुख्य न्यायाधीश नालसा के प्रमुख संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। केंद्र सरकार ने भारत के मुख्य न्यायधीश के परामर्श से उच्च न्यायिक सेवा के एक अधिकारी को नालसा का सदस्य सचिव नियुक्त किया है।

सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का गठन प्रशासन और कानूनी सेवाओं के कार्यक्रम, जहाँ तक यह भारत के उच्चतम न्यायालय से संबंधित है, को लागू करने के लिए हुआ है।

हर राज्य में, एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) का गठन किया गया है जिसमे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संरक्षक प्रमुख और उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यकारी अध्यक्ष है। प्रत्येक SLSA के लिए एक सदस्य सचिव हैं।

इसी प्रकार, प्रत्येक उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है जिसके सचिव एक न्यायिक अधिकारी है।

जिला स्तर पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसमें जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और न्यायिक अधिकारी के सचिव हैं।

इसी तरह, तालुका स्तर पर, नालसा की नीतियों और निर्देशों को प्रभाव देने के लिए, तालुका विधिक सेवा समिति गठित की गई है।

Constitution of NALSA & SLSAs

At the national level, the Chief Justice of India is the Patron-in Chief of NALSA. The Senior Most Judge of the Supreme Court is the Executive Chairman. The Central Government in consultation with the Chief Justice of India has also appointed a person as the Member Secretary of NALSA.

Supreme Court Legal Services Committee has been constituted to administer and implement the legal services programme insofar as it relates to the Supreme Court of India.

In every State, a State Legal Services Authority (SLSA) has been constituted with the Chief Justice of the High Court as the Patron-in-Chief and the Senior Most Judge of the High Court as the Executive Chairman. There is a Member Secretary for each SLSA.

In every High Court, a High Court Legal Services Committee has been constituted with a Judicial Officer as the Secretary.

At the District level, District Legal Services Authorities have been constituted with the District Judge as the Chairman of the District Legal Services Authority and a Senior Judicial Officer as the Secretary of the District Legal Services Authority.

Similarly, at the Taluka Level, Taluka Legal Services Committees have been constituted to give effect to the policies and directions of NALSA.

विधिक सेवा संस्थाओं की कार्य प्रणाली

नालसा देश भर में लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियों, सिद्धांतों, दिशा निर्देशों और प्रभावी किफायती योजनायें बनाता है ।

प्रथमत:, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं तालुक विधिक सेवा समितियों वगैरह को मुख्य रूप से, निम्नलिखित मुख्य कार्यों का निर्वहन करने के लिए कहा गया है:

I पात्र व्यक्तियों को नि:शुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना:

II विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालत का आयोजन करना:

III समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के अधिकारों के बारे में कानूनी जागरूकता पैदा करने के लिए कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन करना:

IV नालसा की योजनाओ और नीति निर्देशों को सामरिक और निवारक कानूनी सेवा कार्यक्रम द्वारा लागू करना ।

दिल्ली राज्य विधिक सेवायें प्राधिकरण क्या है:

दिल्ली राज्य विधिक सेवायें प्राधिकरण का गठन दिनांक 14.02.1996 को हुआ था। दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय उच्च न्यायाधीश इसके प्रमुख संरक्षक एवं दिल्ली उच्च न्यायालय के अगले वरिष्ठ माननीय न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं। दिल्ली राज्य विधिक सेवायें प्राधिकरण ने सभी जिलों में जिला विधिक सेवायें प्राधिकरण स्थापित किये हैं और दिल्ली न्यायिक सेवाओं के अधिकारी उनके पूर्ण-कालिक सचिव होते हैं। जिला विधिक सेवायें प्राधिकरण प्रत्येक न्यायालय कॉम्लेक्स में वादीगणों तथा क्षेत्रीय निवासियों को विधिक सेवायें आसानी से पहुँचाने के लिए अवस्थित हैं। उच्च न्यायालय स्तर पर, उच्च न्यायालय विधिक सेवायें समिति विधिक सेवायें प्रदान करने के लिये गठित है।

Functioning of Legal Services Institutions

NALSA lays down policies, principles, guidelines and frames effective and economical schemes for the State Legal Services Authorities to implement throughout the country.

Primarily, the State Legal Services Authorities, District Legal Services Authorities, Taluka Legal Services Committees, etc. are mandated to discharge the following main functions:

I To provide Free and Competent Legal Services to eligible persons;

II To organize Lok Adalats for amicable settlement of disputes;

III To create legal awareness about the rights of the weaker and marginalized sections of the society;

IV To implement the Schemes and policy directions of NALSA through strategic and preventive Legal Services Programmes.

WHAT IS DELHI STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

Delhi State Legal Services Authority was constituted on 14.02.1996. The Hon'ble Chief Justice of Delhi High Court is Patron-in-chief and the next senior most Judge of the Delhi High Court is the Chairperson of the Authority. DSLSA has setup District Legal Services Authorities in all Districts and an officer of the Delhi Judicial Services is its Full-time Secretary. The District Legal Services Authorities are located at each Court complex to make legal services easily accessible to the litigants and residents of the area. At the High Court level, High Court Legal Services Committee has been constituted to provide legal services.

नि: शुल्क विधिक सेवायें प्राप्त करने के लिये पात्र व्यक्ति

- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के सदस्य
- महिला या बालक
- औद्योगिक कामगार
- कस्टडी में कोई व्यक्ति, संरक्षित गृह के बच्चे तथा मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति सहित जो मन: चिकित्सा अस्पताल या नर्सिंग होम मे है।
- मानव व्यापार या भिक्षावृत्ति के पीड़ित
- दिव्यांग व्यक्ति जो अंधेपन लोकोमोटर अपंगता श्रवण हानि, मानसिक बीमारी या मंदबुद्धि या कुष्ठ अभिसाधित हैं।
- सामूहिक आपदा, नैतिक हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़ सूखा, भूकम्प या औद्योगिक आपदा के पीड़ित
- रू दो लाख से कम वार्षिक आय वाले किन्नर (ट्रांसजेंडर)
- रू दो लाख से कम वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिक
- रू एक लाख से कम वार्षिक आय वाले नागरिक

मुफ्त कानूनी सेवायें

नि: शुल्क कानूनी सेवाओं से तात्पर्य है गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को दीवानी और फौजदारी मामलों में, किसी भी अदालत की कानूनी कार्यवाही में या न्यायाधिकरण में या प्राधिकारी के समक्ष, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है। दीवानी प्रकृति के सभी मामलों जैसे सम्पत्ति विवाद, वैवाहिक व बालक कस्टडी मामले, लेबर श्रम अथवा सर्विस कानून मामले, मोटर दुर्घटना मामलों से सम्बन्धित मामले, आपराधिक मामले, उपभोक्ताओं के विवाद, भारत के संविधान में गारन्टीकृत मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन वाले मामले, और अत्यन्त महत्व के मामले आदि के सम्बंध में सभी मामलों मे विधिक सेवायें उपलब्ध कराई जाती है।

Persons Eligible for Getting Free Legal Services :

- A member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe.
- A woman or a child.
- An industrial workman.
- A person in custody, including a child in protective home and a mentally ill person in a psychiatric hospital or nursing home.
- A victim of trafficking in human beings or beggar.
- A person with disability such as suffering from blindness, locomotor disability, hearing impairment, mental illness or retardation or leprosy cured.
- A victim of mass disaster, ethnic violence, caste atrocity, flood, drought, earthquake or industrial disaster.
- A Transgender with an annual income of less than Rs. 2,00,000/-.
- Senior Citizen with an annual income of less than Rs.2,00,000/-.
- A person with an annual income of less than Rs.1,00,000/-.

Free Legal Services:

Free legal services entail the provision of free legal aid in civil and criminal matters for those poor and marginalized people who cannot afford the services of a lawyer for the conduct of a case or a legal proceeding in any court, tribunal or before an authority. Legal Services are provided in all cases of civil nature such as property disputes, matrimonial and child custody matters, labour or service law matters, compensation in motor accident cases, consumer disputes etc., cases involving criminal offence, cases involving violation of fundamental rights guaranteed by the Constitution of India and cases of great importance.

नि: शुल्क कानूनी सेवाओं में शामिल हैं: -

क कानूनी कार्यवाही में एक अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व।

ख वाद की तैयारी, अपील का ज्ञापन, कानूनी कार्यवाही में मुद्रण और दस्तावेजों का अनुवाद, कागज किताब सहित की तैयारी;

ग कानूनी दस्तावेजों का मसौदा तैयार करना, विशेष अनुमति याचिका आदि;

घ किसी भी अदालत या अन्य प्राधिकारी या न्यायाधिकरण के समक्ष किसी भी मामले या अन्य कानूनी कार्यवाही के संचालन में किसी भी सेवा का प्रतिपादन; और

ङ किसी भी कानूनी मामले पर सलाह देना।

नि: शुल्क कानूनी सेवाओ में लाभार्थियों को सहायता और सलाह के प्रावधान भी शामिल है जिससे वे कल्याण योजनाओं और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं का उपयोग कर सके और किसी भी अन्य तरीके से न्याय तक पहुँच सुनिश्चित कर सके।

कानूनी सहायता के लिए आवेदन कैसे करे ?

- वह व्यक्ति जिसे मुफ्त कानूनी सेवाओं की आवश्यकता है या तो लिखित आवेदन पत्र द्वारा अथवा उस प्राधिकरण द्वारा तैयार प्रपत्र को भर कर संबंधित अधिकारी या समिति को संपर्क कर सकता है। कानूनी सहायता प्राप्त करने हेतु व्यक्ति को संक्षिप्त रूप में अपनी शिकायत अथवा वे कारण जिसके लिए उसे कानूनी सहायता चाहिए का विवरण देना होगा।

- आवेदक अनपढ़ है या लिखने की स्थिति में नहीं है तो सदस्य सचिव या कानूनी सेवा प्राधिकरण/समिति का कोई भी अधिकारी उसकी मौखिक प्रस्तुति रिकार्ड करेगा और उस पर उसके अंगूठे के निशान/हस्ताक्षर प्राप्त करेगा और इस तरह का रिकार्ड उसका आवेदन माना जाएगा। कानूनी स्वयंसेवक भी उस की सहायता आवेदन फार्म भरने के लिए कर सकता है।

- आवेदक को कानूनी सेवाओं की मांग के लिए पात्रता मानदंड को सत्यापित करना होगा।

Provision of free legal aid may include:

a Representation by an Advocate in legal proceedings.

b Preparation of pleadings, memo of appeal, paper book including printing and translation of documents in legal proceedings;

c Drafting of legal documents, special leave petition etc.

d Rendering of any service in the conduct of any case or other legal proceeding before any court or other Authority or tribunal and;

e Giving advice on any legal matter.

Free Legal Services also include provision of aid and advice to the beneficiaries to access the benefits under the welfare statutes and schemes framed by the Central Government or the State Government and to ensure access to justice in any other manner.

How to apply for legal aid?

- A person in need of free legal services can approach the concerned authority or committee through an application which could either be sent in writing or by filling up the form prescribed by the Authorities stating in brief the reasons for seeking legal aid or the grievance.

- If the applicant is illiterate or is not in a position to write, the Member Secretary or any officer of the legal services Authority/Committee shall record his verbal submission and obtain his thumb impression/signature on the record and such record will be treated as his application. A para legal volunteer can also assist the person while filling the application form.

- The applicant shall be required to verify the eligibility criteria for seeking legal services.

- कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए नालसा की वेबसाइट पर भी आनलाईन आवेदन कर सकते है।

कानूनी सेवाएं को कब वापस लिया जा सकता है?

- सहायता प्राप्त व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन हो तो।
- जहाँ सहायता प्राप्त व्यक्ति ने गलत बयानी या धोखे से कानूनी सेवाएं प्राप्त की हो।
- जहाँ व्यक्ति कानूनी सेवा प्राधिकरण/समिति द्वारा नियुक्त वकील के अलावा किसी अन्य वकील को नियुक्त कर लेता है।
- सहायता प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में सिवाय सिविल कार्यवाही के मामले को छोड़कर जहाँ अधिकार और दायित्व जीवित रहता है।
- जहाँ कानूनी सेवा या मामले में आवेदन कानून का या कानूनी सेवाओं की प्रक्रिया का दुरुपयोग होता पाया जाये।

क्या और कहाँ कानूनी सेवाओं के इनकार के लिए अपील दायर की जा सकती है?

हाँ, एक उचित समय के भीतर कानूनी सेवाओं के अनुदान के इनकार पर प्राधिकरण/ समिति के अध्यक्ष को अपील की जा सकती है।

क्या और कहाँ शिकायत या सुझाव दायर किया जा सकता है ?

हाँ, शिकायत/सुझाव का मफ्त कानूनी सहायता और सेवाओं के सुधार के प्रावधान के लिए स्वागत है ।

शिकायत/सुझाव सदस्य सचिव को डाक या ईमेल द्वारा भेजा या संबोधित किया जा सकता है या इस उद्देश्य के लिए कानूनी सेवा क्लिनिक या फ्रंट ऑफिस कार्यालयों में रखे शिकायत बक्सों में जमा किया जा सकता है ।

लोक अदालत

लोक अदालत आम आदमी के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक

- An online application for legal aid can also be made by going to NALSA Website.

When can legal services be withdrawn?

When the aided person is possessed of sufficient means.

- Where the aided person obtained legal services by misrepresentation or fraud.
- Where the person engages a legal practitioner other than the one assigned by the Legal Services Authority/ Committee.
- In the event of death of the aided person except in the case of civil proceedings where the right or liability survives.
- Where the application for legal services or the matter in question is found to be an abuse of the process of law or of legal services.

Whether and where appeal can be filed for denial of legal services?

Yes, appeal can be made to the Chairperson of the Authority/Committee on denial of grant of legal services within a reasonable time.

Whether and where complaints or suggestions can be filed?

Yes, Complaints/Suggestions are welcome for improvement in the provision of free legal aid and services.

Complaints/suggestions can be sent by post or email addressed to the Member Secretary/Secretaries or deposited in the complaint boxes placed at the Legal Services Clinics or Front Offices for this purpose.

Lok Adalats:

Lok Adalat is an important Alternative Disputes Resolution Mechanism available to

मंच है जहाँ अदालत में लंबित विवादों या ऐसे मामले जो अदालत तक पहुँचे नहीं हैं को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत लोक अदालत द्वारा किए गए अवार्ड को सिविल अदालत की डिक्री समझा जाता है और यह अंतिम और सभी दलों पर बाध्यकारी है तथा इसके खिलाफ किसी भी अदालत के समक्ष अपील वर्जित है।

लोक अदालत विधिक सेवायें प्राधिकरणों/समितियों द्वारा अनुभाग 19 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत अदालतों के समक्ष लंबित मामलों और पूर्व लंबित मामलो के निपटारे के लिए, संगठित की जाती है। लोक अदालतों में निम्नलिखित प्रकार के मामले लिए जा सकते है।

- वैवाहिक /पारिवारिक विवादों
- अपराधिक मामले जो कम्पौंडेबल है
- भूमि अधिग्रहण मामले ।
- श्रम विवाद
- कामगार की क्षतिपूर्ति विवाद
- बैंक रिकवरी मामले (राष्ट्रीयकृत, बहु राष्ट्रीय और निजी बैंक)
- पेंशन मामले
- हाउसिंग बोर्ड और स्लम क्लीयरेंस और हाउसिंग फाइनेंस मामले
- उपभोक्ता शिकायत मामले
- बिजली मामले
- टेलीफोन बिल विवाद
- हाउस टैक्स आदि सहित मुनिसिपेलेटी के मामले
- अन्य दीवानी मामले जैसे की विभाजन, कब्जे के मामले, किराया संबंधी मामले, एस्मेंट्री अधिकार, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह।

a common person. It is a forum where the disputes/cases pending in the court of law or at pre-litigation stage are settled/ compromised amicably. Under the Legal Services Authority Act, 1987 an award made by a Lok Adalat is deemed to be a decree of a civil court and is final and binding on all parties and no appeal lies against thereto before any court.

Lok Adalats are being organized by the Legal Services Authorities/Committees for settlement of cases pending before courts u/s 19 of the Legal Services Authorities Act, 1987 and also for matters at pre-litigative stage. The following types of matters may be taken up in the Lok Adalats:

- Matrimonial/Family disputes
- Criminal Compoundable Offence cases
- Land Acquisition Cases
- Labour Disputes
- Workmen's compensation cases
- Bank Recovery cases (Nationalised, Multinational & Private Banks)
- Pension cases
- Housing Board and slum clearance cases & Housing Finance cases
- Consumer Grievance cases
- Electricity matters
- Telephone Bills disputes
- Municipal matters including House Tax cases etc.
- Other Civil matters such as partition, recovery of possession, rent matters, easmentary rights, contracts etc.

जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित प्री-लिटिगेशन (कोर्ट में मामला दायर करने से पहले) विवादों के सुलह और निपटान के लिए अध्याय 6A वर्ष 2002 में सम्मिलित किया गया था जिसके अंतर्गत स्थाई लोक अदालत की स्थापना का प्रावधान किया गया है। जन उपयोगी सेवाएँ यात्रा सेवा, डाक, तार या टेलीफोन सेवा, जनता को विधुत, प्रकाश या जल की आपूर्ति, सार्वजनिक सफाई या स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्रों में सेवायें या बीमा सेवा से संबंधित सेवायें है। इसके अनुसरण में, स्थायी लोक अदालत ज्यादातर राज्यों में स्थापित किए गए हैं।

कानूनी जागरूकता कार्यक्रम

विधिक सेवा संस्थानों को समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के अधिकारों के बारे में कानूनी साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए अधिदिष्ट किया गया है। ये जागरूकता एवं कानूनी साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन न केवल शहरों और कस्बों में अपितु ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी किया जाता है। कानूनी साक्षरता क्लब और क्लीनिक स्कूलों और कॉलेजों में भी स्थापित किये गए है।

कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों में बाल अधिकार, वरिष्ठ नागरिकों, असंगठित श्रमिक, किन्नरों, जेल के कैदियों, मानसिक रूप से बीमार और विकलांग व्यक्तियों, आपदा पीड़ितों के अधिकारों और महिला के अधिकारों, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों जैसे मुद्दों को लिया जाता है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के विनियम एवं योजनाएँ:

सभी विधिक सेवा संस्थानों को प्रभावी रूप से अधिनियम के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए, निवारक और सामरिक कानूनी सहायता कार्यक्रम के तहत, नालसा ने विभिन्न नियमों और योजनाएं प्रख्यापित और तैयार की है.

विनियम एवं योजनाओं के नाम

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 ।

Chapter VI-A had been inserted in the Legal Services Authorities Act, 1987 in the year 2002, with a view to provide compulsory pre-litigative mechanism for conciliation and settlement of disputes relating to Public Utility Services ('PUS'). PUS are those relating to transport service,postal, telegraph or telephone service, supply of power, light or water to the public, system of public conservancy or sanitation, service in hospital or dispensary or insurance service. Pursuant to this, Permanent Lok Adalats have been set up in most states.

Legal Awareness Programmes:

The Legal Services Institutions are mandated to conduct legal literacy and awareness programmes about the rights of the weaker and marginalized sections of the society.These awareness & legal literacy programmes are organized not only in cities & towns but also in rural and remote areas. Legal literacy clubs and clinics have also been set up in schools and colleges.

The legal awareness programmes cover issues such as Child Rights, Rights of Senior Citizens, Unorganised Workers, Transgenders,Jail Inmates, Mentally ill and Persons with Disability, Disaster Victims and Womens'Rights, Fundamental Rights and Fundamental Duties.

Regulations & Schemes Formulated By National Legal Services Authority:

NALSA has promulgated and formulated various Regulations for Legal Services Institutions for effective dischargeof their core functions and Schemes under the preventive & strategic legal services programme.

Regulations & Schemes:

- National Legal Services Authority (LokAdalat) Regulations, 2009.

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि: शुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएं) विनियम, 2010 ।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लीगल एड क्लीनिक) विनियम, 2011 ।
- पैरालीगल वालंटियर्स (संशोधित) योजना।
- विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से आपदा पीड़ितों के लिए कानूनी सेवाओं के लिए योजना.
- नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितो के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015.
- नालसा (बच्चों को मैत्रिपूर्ण विधिक सेवाएँ और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015.
- नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015.
- नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015.
- नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना 2015.
- नालसा (नशा पीड़ितो को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015.
- नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वन के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015.
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एसिड हमलों के पीड़ितो के लिए विधिक सेवा) योजना, 2016.

- National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010.
- National Legal Services Authority (Legal Services Clinics) Regulations, 2011.
- Scheme for Para-Legal Volunteers (Revised) & Module for the Orientation-Induction-Refresher Courses for PLV Training.
- Scheme for Legal Services to Disaster Victims through Legal Services Authorities.
- NALSA (Victims of Trafficking and Sexual exploitation) Scheme,2015.
- NALSA (Child Friendly Legal Services to Children and their Protection) Scheme, 2015.
- NALSA(Legal Services to the Workers in the Unorganised Sector) Scheme, 2015.
- NALSA(Protection and Enforcement of Tribal Rights),Scheme,2015.
- NALSA (Legal Services to the Mentally Ill and Mentally Disabled Persons) Scheme,2015.
- NALSA(Legal Services to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace) Scheme, 2015.
- NALSAScheme(for Effective Implementation of Poverty Alleviation Schemes) 2015.
- NALSA (Legal Services to Victims of Acid Attacks) Scheme, 2016.

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2016.

दिल्ली साक्ष्य संरक्षण योजना 2015

दिल्ली साक्ष्य संरक्षण योजना, 2015 का उद्देश्य गवाहों को एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जिसमे गवाह भयमुक्त होकर गवाही दे सकें। इस योजना के समान पूरे देश मे दूसरी कोई योजना नही है। दिल्ली राज्य विधिक सेवायें प्राधिकरण इस योजना को लागू करने के लिए सक्षम प्राधिकरण है।

योजना मे साक्ष्य का नाम गुप्त रखने के कुछ उपाय उल्लिखित है जैसे कि साक्ष्य का नाम पता एवं अन्य विवरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से प्रकाशित न करना जिससे कि साक्ष्य की पहचान हो जाए, साक्ष्य की पहचान बदलना, गवाह का स्थान परिवर्तन करना, कैमरे के सामने कार्यवाही एवं सीधे प्रसारण की सुविधा जहां कोई साक्ष्य न्यायालय में आए बिना अपनी गवाही प्रस्तुत कर सके, यह सुनिश्चित करना कि आरोपी और साक्ष्य जाचं प्रक्रिया और केस की सुनवाई के दौरान आमने सामने न आए।

साक्ष्य को सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आवेदन देना होगा जिसके बाद DSLSA द्वारा दिल्ली पुलिस से खतरे की विश्लेषण रिपोर्ट मांगी जाएगी। प्रत्यक्ष खतरे को देखते हुए साक्ष्य एवं/अथवा उसके परिवार को अन्तरिम संरक्षण प्रदान करने के आदेश भी जारी किए जा सकते है।

पीड़ितो के लिए (दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2015)

न्याय तक सबकी पहुँच हो इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में न्याय से वंचित न हो। इसके अतिरिक्त अपराध के परिणामस्वरूप हुई हानि, चोट आदि के कारण पीड़ितों को मुआवजे देना भी आवश्यक है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2011 लागू की गई जो कि पीड़ितों और उनके रिश्तेदारों को अपराध के परिणामस्वरूप हुई हानि अथवा चोट तथा

- NALSA (Legal Services to Senior Citizens) Scheme, 2016.

Delhi Witness Protection Scheme 2015

With the avowed objective of ensuring that witnesses are able to depose and testify in courts without fear and taking a holistic approach to witness protection, the Delhi Witness Protection Scheme, 2015 was rolled out which finds no parallel in the rest of the country. Delhi State Legal Services Authority is the competent authority for the implementation of the Scheme.

The scheme lays down steps to protect the identity of witnesses like: prohibiting the publication or revealing, in any manner, directly or indirectly, the name, address and other particulars which may lead to the identification of a witness; changing the identity of a witness; relocating the person, facility for in-camera proceedings and 'live link', in which a witness can depose without coming to court, ensuring that witness and accused do not come face to face during investigation and trial.

The witness has to apply for protection following which DSLSA will seek a threat analysis report from Delhi Police. Depending upon the urgency in the matter owing to imminent threat, orders can be passed even for the interim protection of the witness and/ or his family.

Delhi Victims Compensation Scheme, 2015

An essential aspect of securing Access to Justice for All is ensuring that nobody is deprived of an opportunity to seek justice merely for want of funds. Moreover, victims also need to be compensated for loss or injury suffered as a result of the crime. With this objective the Delhi Victim Compensation Scheme, 2011 was brought out which provides for compensation to the victims or their dependents who have suffered loss or

जिन पीड़ितों को पुनर्वास की आवश्यकता है, उन्हे मुआवजा प्रदान करती है। इस योजना को अब संशोधित किया गया है तदानुसार ये अब दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2015 के नाम से जानी जाती है, जो कि 23.12.2016 से प्रभावी है। इसमें मुआवजे की अधिकतम सीमा उल्लिखित है जिसे पीड़ितों को प्रदान किया जाता है। यह योजना दिल्ली राज्य विधिक सेवायें प्राधिकरण की देख रेख में संचालित की जा रही है।

इस योजना के अंतर्गत जीवन हानि, बलात्कार जिसमें गैंगरेप सम्मिलित है, अप्राकृतिक लैंगिक हमला, अंग भंग, जलना, मानव व्यापार के पीड़ित, गंभीर चोटों से पीड़ित, गर्भपात, एसिड हमले से पीड़ितों को मुआवजा प्रदान किया जाता है। इस मुआवजे की सीमा रू. 50,000/- से 10 लाख के बीच हो सकती है। दिल्ली राज्य विधिक सेवायें प्राधिकरण पीड़ितों के दुखों को कम करने के लिए अंतरिम राहत (चिकित्सकीय या मौद्रिक क्षतिपूर्ति) भी प्रदान कर सकता है।

अंतरिम/अंतिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने के सम्बंध में आवेदन - पत्र निस्तारण हेतु किसी भी जिला विधिक सेवायें प्राधिकरण के समक्ष पीड़ित द्वारा एवं उनके आश्रितों द्वारा या क्षेत्र के एस एच ओ द्वारा प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफ आई आर) की प्रति, मेडिकल रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र यदि उपलब्ध हो, निर्णय की प्रति, न्यायालय द्वारा की गई अनुशंसाओं के साथ दायर किया जा सकता है।

दिल्ली में वन स्टॉप सेन्टर के लिये विस्तृत मानक परिचालनगत प्रक्रिया (SOP)

दिल्ली राज्य विधिक सेवायें प्राधिकरण ने दिल्ली में वन स्टॉप सेन्टर के लिये विस्तृत मानक परिचालनगत प्रक्रिया (SOP) बनाई है जिसके अनुसार पहला अस्पतालों में दूसरा जिला न्यायालय परिसरों में तथा तीसरा पुलिस स्टेशनों पर वन स्टॉप सेन्टर स्थापित करने का प्रावधान है।

वन स्टॉप सैंटर उन सभी महिलाओ की सहायता करेगा जो कि किसी भी प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न के कारण हुई हिंसा, लैंगिक हमले, घरेलू हिंसा, मानव व्यापार, प्रतिष्ठा सबंधी अपराध, तेजाबी हमले अथवा जादू टोने से पीड़ित हैं। यह सहायता आयु, जाति, शैक्षणिक

injury as a result of the crime and who require rehabilitation. The Scheme has now been revised and Delhi Victim Compensation Scheme, 2015 has become effective from 23.12.2016. The latter lays down higher limits of compensation which can be granted to victim of crimes. The Scheme is administered throught the Delhi State Legal Services Authority.

The Scheme provides compensation for loss of life, victims of rape (including gang rape), victims of unnatural sexual assault, loss of limb, burn victims, victims of human trafficking, victims of grievous injury, miscarriage, acid attack victims. The compensation is provided between the range of Rs. 50,000 to Rs.10 lakhs. The Delhi State Legal Services Authority can also order for interim relief (including medical or monetary compensation) to alleviate suffering of the victim.

An application for award of interim/final compensation can be filed by the Victims and/ or their dependents or the SHO of the area along with a copy of First Information Report (FIR), medical report, death certificate, if available, copy of judgment, recommendation made by a Court before any of the District Legal Services Authority for disposal.

Comprehensive Standard Operating Procedure (SOP) for "One Stop Centres in Delhi"

Delhi State Legal Services Authority has brought out a comprehensive Standard Operating Procedure (SOP) for "One Stop Centres in Delhi which provides for setting up One Stop Centres at three places, one in the hospitals, second in the District Court complexes and third at police stations.

One Stop Centres (OSC) are intended to support women facing any kind of violence due to attempted sexual harassment, sexual assault, domestic violence, trafficking, honour related crimes, acid attacks or witch-hunting, irrespective of their age, class, caste,

योग्यता, जातीय, एवं संस्कृति पर विचार किए बिना प्रदान की जाएगी। पीड़ित महिला को पूर्ण समर्थन तथा सहयोग दिया जायेगा व एक ही स्थान पर चिकित्सकीय, कानूनी, मनौवैज्ञानिक तथा काउसिंलिग सहित विधिक सेवायें उपलब्ध कराई जायेंगी ताकि वह किसी भी प्रकार की हिंसा से लड़ने मे समर्थ हो सके। ऐसे केन्द्रो की स्थापना कई अस्पतालों तथा न्यायालय परिसरों में की जा चुकी है।

बच्चों के भरण - पोषण, शिक्षा व कल्याण के लिये वित्त प्रदान करने की योजना 2013

ऐसे बच्चें जो अपने दोनों जीवित माता - पिता या किसी एक के कैदी बनाये जाने के कारण केवल अपने स्वयं के संसाधनों पर निर्भर है, उनके भरण-पोषण, शिक्षा व कल्याण के लिये वित्त प्रदान करने को ध्यान में रखकर उपरोक्त योजना प्रारम्भ की गई है।

योजना का उद्देश्य बच्चों को वित्तिय सहायता प्रदान करना है जिससे कि इन बच्चों की वृद्धि में रूकावट न हो और ये शारीरिक रूप से फिट रहें, मानसिक रूप से सतर्क रहे और नैतिक रूप से स्वस्थ शिक्षित नागरिक बनें।

वित्तिय सहायता, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के समान इन बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान, बच्चों के लिये संरक्षित वातावरण एवं कल्याणकारी उपायों का प्रावधान जिसमें चिकित्सकीय उपचार, एवं कैदी माता - पिता के साथ वार्तालाप में सहायता के लिये नि: शुल्क विधिक सहायता शामिल है।

कैदी माता - पिता साधारणगत 5 वर्षों से दिल्ली के निवासी होने चाहिये और कैद की अवधि 30 दिन से कम नहीं होनी चाहिये।

education status, marital status, race and culture. The aggrieved women will be provided integrated support and assistance and access to a range of services including medical, legal, psychological and counselling support under one roof to fight against any forms of violence. Such centres have already been established in several hospitals and in court complexes .

Scheme for Financial Sustenance, Education & Welfare of Children, 2013

Taking up the issue of providing financial sustenance, education and welfare of children who are left to their own resources on incarceration of one or both surviving parents, the Scheme for Financial Sustenance, Education and Welfare of Children, 2014 was brought out.

The objective of the scheme is to provide financial assistance to such children so that their growth shall not be hindered and they shall develop into physically fit, mentally alert, morally healthy educated citizens.

Assistance may include financial assistance, provision for free education for children by treating them as Economically Weaker Section, provision for protective environment and welfare measures for the child including medical treatment and provision of free legal aid for interaction with incarcerated parents.

The parents of should be ordinarily living in Delhi for the last 5 years and period of incarceration should not be less than 30 days.

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण

कानूनी सहायता संस्थान 'न्याय संयोग'

पटियाला हाऊस कोर्ट, नई दिल्ली-110001

फोन - 011-23071265, मोबाईल-9870101337, हेल्पलाइन–1516

ईमेल: lae-dslsa@gov.in, वेबसाइट – www.dslsa.org

-----*********-----

Delhi State Legal Services Authorities

East District Legal Services Authority
Room No. 36, Ground Floor, Karkardooma Courts, Delhi
Tel.: 22101336 । Email.: east-dlsa@nic.in

Shahdara District Legal Services Authority
Room No.35-A, Ground Floor, Karkardooma Courts, Delhi
Tel.: 22101456 । Email.: shahdara-dlsa@nic.in

South District Legal Services Authority
Ground Floor, Utility Block, Saket Courts, New Delhi
Tel.: 29562440 । Email.: south-dlsa@nic.in

New Delhi District Legal Services Authority
Patiala House Courts, New Delhi
Tel.: 23072418 । Email.: nddistrict.dlsa@gmail.com

North - West District Legal Services Authority
Room No. 405, Rohini Courts, Delhi
Tel.: 27555536 । Email.: northwest-dlsa@nic.in

North District Legal Services Authority
Room No. 405, Rohini Courts, Delhi
Tel.: 27557310 । Email.: north-dlsa@nic.in

South - East District Legal Services Authority
Ground Floor, Utility Block, Saket Courts, New Delhi
Tel.: 29561040 । Email.: southeast-dlsa@nic.in

South - West District Legal Services Authority
Room No. 5A, Admin. Block, Dwarka Courts,
Sector - 10, Dwarka, New Delhi
Tel.: 28041480 । Email.: southwest-dlsa@nic.in

West District Legal Services Authority
Room No. 295, Tis Hazari Courts, Delhi
Tel.: 23968052 । Email.: west-dlsa@nic.in

Central District Legal Services Authority
Room No. 287, Tis Hazari Courts, Delhi
Tel.: 23933231 । Email.: central-dlsa@nic.in

North - East District Legal Services Authority
Room No. 35, Ground Floor, Karkardooma Courts, Delhi
Tel.: 22101335 । Email.: northeast-dlsa@nic.in

पूर्वी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
कमरा न॰ 36, भूतल, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली
फोन न॰ 22101336 । ई-मेल.: east-dlsa@nic.in

शाहदरा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
कमरा न॰ 35 -A, भूतल, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली
फोन न॰ 22101456 । ई-मेल.: shahdara-dlsa@nic.in

दक्षिणी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
भूतल, उपयोगिता खण्ड, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली
फोन न॰ 29562440 । ई-मेल.: south-dlsa@nic.in

नई दिल्ली जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली
फोन न॰ 23072418 । ई-मेल.: nddistrict.dlsa@gmail.com

उत्तर-पश्चिम जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
कमरा न॰ 405, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली
फोन न॰ 27555536 । ई-मेल.: northwest-dlsa@nic.in

उत्तरी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
कमरा न॰ 405, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली
फोन न॰ 27557310 । ई-मेल.: north-dlsa@nic.in

दक्षिण-पूर्वी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
भूतल, उपयोगिता खण्ड, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली
फोन न॰ 29561040 । ई-मेल.: southeast-dlsa@nic.in

दक्षिण-पश्चिम जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
कमरा न॰ 5A, एडमिन. ब्लाक, द्वारका न्यायालय,
सेक्टर - 10, द्वारका, नई दिल्ली
फोन न॰ 28041480 । ई-मेल.: southwest-dlsa@nic.in

पश्चिम जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
कमरा न॰ 295, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली
फोन न॰ 23968052 । ई-मेल.: west-dlsa@nic.in

केन्द्रिय जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
कमरा न॰ 287, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली
फोन न॰ 23933231 । ई-मेल.: central-dlsa@nic.in

उत्तर - पूर्वी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
कमरा न॰ 35, भूतल, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली
फोन न॰ 22101335 । ई-मेल.: northeast-dlsa@nic.in

DELHI HIGH COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE

Room No. 33-38, Lawyers Chamber, High Court of Delhi, New Delhi
Tel.: 23383418 । Email.: dhclsc-dhc@nic.in
www.dhclsc.org

Unique Vision # 011 - 23683007

दिल्ली राज्य विधिक सेवायें प्राधिकरण विधिक सहायता के लिये आवेदन - पत्र

1. **आवेदक का नाम**
2. **पिता/पति का नाम**
3. **आवेदक का पता/फोन नं, यदि कोई है,।**
4. **संवर्ग**

☐ अनुसूचित जाति	☐ अनुसूचित जन - जाति	☐ कस्टडी में	☐ मनोचिकित्सा अस्पताल या गृह की कस्टडी में
☐ संरक्षण गृह की कस्टडी में	☐ आय < 1 लाख वार्षिक	☐ महिला या लड़की	☐ वरिष्ठ नागरिक < 2 लाख प्रतिर्ष
☐ बच्चा (बालक/बालिका दोनों)	☐ ट्रांसजेंडर आय < दो लाख वार्षिक	☐ दिव्यांग	☐ एम ए सी टी दावेदार
☐ आपदा पीड़ित	☐ गुमशुदा बच्चा	☐ जाति अत्याचार या किसी अन्य अत्याचार से पीड़ित	☐ बलात्कार पीड़ित
☐ ओद्योगिक कामगार/मजदूर	☐ दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना हितग्राही	☐ मानव व्यापार या भिक्षावृत्ति पीड़ित	☐

5. क्या नियोजित है/ बेरोजगार है:
6. कार्य का स्थान
7. राष्ट्रीयता एवं धर्म
8. क्या अजा/अजजा के हैं (इसके समर्थन मे कागजात) संलग्न करें
9. सामने वाली पार्टी का नाम एवं टेलीफोन नं. (यदि कोई है)
10. आय प्रतिमाह (रू 10/- के नॉन-ज्युडिसियल पेपर पर शपथ पत्र)
11. क्या निम्नलिखित को दायर करने के लिए विधिक सहायता चाहिये (टिक कीजिये) धारा 125 सी पी सी/सिविल के तहत दावा/आवेदन दायर करने (कृपया केटेगरी दर्शाये) याचिका/आपराधिक याचिका/ लेबर केस/सर्विस मामला आपराधिक मामला/ अन्य (कृपया स्पष्ट करें):
12. क्या पूर्व मे इस प्राधिकरण के समक्ष कोई आवेदन दायर किया गया था, यदि हां तो दिनांक व आवेदन पत्र की फाइल सं एवं तारीख दर्शायें
13. आपकी समस्या की विवरण (संक्षेप मे)
14. कृपया बतायें कि क्या कोई केस किसी न्यायालय में लम्बित है, यदि हां तो उसके विवरण दें/
15 किस प्रकार की राहत चाहिये: विधिक सहायता चाहिये।
16. मैं वचन देता हूँ/ देती हूँ कि यदि मेरे द्वारा विधिक सेवाये गलत या झुठी सूचनाओं अथवा धोखाधड़ी पूर्वक प्राप्त की गई हों तो विधिक सेवायें तत्काल प्रभाव से रोक दी जायें और विधिक सेवायें संस्था द्वारा किये गये खर्चे मुझसे वसूल कर लिये जायें।

आवेदक के हस्ताक्षर

DELHI STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY APPLICATION FORM FOR LEGAL AID

1. Name of Applicant:
2. Father's/Husband's Name:
3. Residential Address (Ph. No. if any):-
4. Category:

☐ Schdule Caste	☐ Schdule Tribe	☐ In Custody	☐ In Custody of a Psychiatric or Home
☐ In custody of a protective home	☐ Income < 1 lac per annum	☐ Women or Girl Child	☐ Sr. Citizen Income < 2 lac per annum
☐ Child (Male/Female both)	☐ Transgender Income <2 Lac per annum	☐ Disabled	☐ MACT Claimants
☐ Disaster Victims	☐ Missing Children	☐ Victim of Caste atrocity or any other atrocity	☐ Rape Victims
☐ Industrial Workmen/Labour	☐ Delhi Victims Comp. Scheme Beneficiaries	☐ Victim of Human Trafficking or Begar	☐

5. Whether Employed/Unemployed:
6. Place of Work:-
7. Nationality & Religion:
8. Whether SC/ST (Proof in support of it):
9. Name and Address of opposite party & Tel. No. (If any):
10. Income per month (Affidavit on Rs. 10/- on non-judicial paper):-
11. Whether legal aid is required to file: Suit/Application U/s 125 Cr. P.C./Civil (Please state the category) Writ/Criminal Writ/Labour Case/Servie Matter/Criminal Matter/Other (pl. specify):-
12. Whether any application has been filed previously before this Authority, if yes, mention date and file No. af application:-
13. Details of your problem (in brief) :
14. Please state whether any case is pending before, any court, if so, the details thereof:
15 Nature of relief sougth: Want legal Aid legal Aid Advocte to
16. I undertake that if the legal services obtained by me on furnishing incorrect or false information or in a fraudulent manner, the legal services shall be stopped forthwith and the expenses incurred by the legal Services Institutions shall be recovered from me.

SIGNATURE OF THE APPLICANT